भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2765

(जिसका उत्तर मंगलवार, 25 मार्च, 2025 को दिया गया)

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में स्वतंत्र निदेशक/गैर-सरकारी निदेशक

2765. श्री येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या कितनी है तथा इनमें से प्रत्येक सीपीएसयू में स्वतंत्र निदेशकों/गैर-सरकारी निदेशकों की अनिवार्य नियुक्ति की स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सीपीएसयू में स्वतंत्र निदेशकों के 86 प्रतिशत पद रिक्त हैं;

(ग) यदि हां, तो सीपीएसयू-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय तथा लोक उद्यम विभाग के साथ कोई चर्चा की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(च) क्या मंत्रालय नियुक्ति करने की प्रक्रिया में तेजी लाएगा?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कारपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 2013 को प्रशासित करता है। अधिनियम की धारा 2(45) के अनुसार, सरकारी कंपनी को ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत केंद्रीय सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा अथवा अंशत: केन्द्रीय सरकार द्वारा और अंशत: एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित किया जाता है और इसमें ऐसी कंपनी भी शामिल है जो ऐसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है"। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लोक उद्यम सर्वेक्षण के अनुसार, 31.03.2024 की स्थिति को, 448 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) थे, जिनमें से 272 सीपीएसई संचालन में थे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को अधिदेशित करती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 के नियम 4 के अनुसार, निम्नलिखित वर्ग की कंपनियों में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होंगे:

(i) 10.00 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनियां; या

(ii) 100.00 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक के टर्नओवर वाली सार्वजनिक कंपनियां; या

(iii) सार्वजनिक कंपनियां जिनके कुल बकाया ऋण, डिबेंचर और जमाराशियां 50.00 करोड़ रूपये से अधिक हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के उल्लघनों के मामले में, उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

लोक उद्यम विभाग के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, सीपीएसई के निदेशक मण्डलों में स्वतंत्र/गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों की संख्या इसकी वास्तविक संख्या की कम से कम एक-तिहाई होनी चाहिए तथा सूचीबद्ध सीपीएसई के मामले में, जिनमें गैर-कार्यपालक अध्यक्ष हैं, उनके बोर्ड में कम से कम एक-तिहाई स्वतंत्र (गैर-सरकारी) निदेशक होने चाहिए तथा सूचीबद्ध सीपीएसई के मामले में, जिनमें कार्यापालक अध्यक्ष हैं, उनके बोर्ड में न्यूनतम आधे स्वतंत्र (गैर-सरकारी) निदेशक होने चाहिए।

(ख) से (च): स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। लोक उद्यम विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सीपीएसई के निदेशक मण्डलों में आईडी/एनओडी की नियुक्ति के प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा शुरू किए जाते हैं; जो डीपीई को नामों का एक पैनल प्रस्तुत करता है। लोक उद्यम विभाग ऐसे प्रस्तावों को सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अध्यक्षता वाली सर्च कमेटी के समक्ष रखता है और सर्च कमेटी की सिफारिशों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को संप्रेषित करता है, जो इस संबंध में सम्यक औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद आईडी/एनओडी नियुक्त करता है।

****